

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2008

विषय: सूखाग्रस्त घोषित विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में सूखा से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—21/सी०आर०ए०—दै०आ०—2008—सूखा, दिनांक 14 अप्रैल, 2008 के कम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विगत मानसून अवधि(2007) में पर्याप्त वर्षा न होने तथा खरीफ की फसलों में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फसल क्षति से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—आयोजनेतर—05—आपदा राहत निधि—800—अन्य व्यय—03—राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय—42—अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. सूखाग्रस्त घोषित विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें कृषि निवेश अनुदान निम्नांकित दरों से वितरित कराया जाय :-

कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक फसलों हेतु	रु० 2000/- प्रति हेठो वर्षा सिंचित क्षेत्र में। रु० 4000/- प्रति हेठो सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।
बरहमासी फसलें	रु० 6000/- प्रति हेठो सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि विगत मानसून अवधि(2007) में पर्याप्त वर्षा न होने तथा खरीफ की फसलों में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फसल क्षति से प्रभावित लघु एवं

सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के निमित्त ही व्यय की जायेगी। बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति का प्लाटवार सर्वेक्षण/रिलीफ खतौनी तैयार की जायेगी। तैयार की गई रिलीफ खतौनी के आधार पर उन्हीं पात्र कृषकों को धनराशि वितरित की जायेगी, जिनकी फसल में 50 प्रतिशत या उससे अधिक की वास्तविक क्षति हुई है। शासनादेश संख्या—4815 / 1-10-2007— 14(45) / 2003, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दी जाने वाली ₹0 1000/- से कम की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्टपेची चेक के माध्यम से किया जाय।

5. उक्त धनराशि का व्यय आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा शासनादेश संख्या—जी0आई0134 / 1-11-2007-46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण करने हेतु उल्लिखित मानकों/दिशा निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी।

6. शासनादेश संख्या—२२१७ / 1-10-2008-12(15) / 2008, दिनांक: २५ अप्रैल, 2008 के अनुसार सूखाग्रस्त घोषित विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में लघु एवं सीमान्त कृषकों को आपदा राहत निधि से कृषि निवेश अनुदान मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमन्य न्यूनतम धनराशि ₹0 250/- को बढ़ाकर ₹0 1000/- कर दिया गया है। अतः सूखा से प्रभावित लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में न्यूनतम ₹0 1000/- की धनराशि का वितरण किया जायेगा।

7. कृषि निवेश अनुदान का वितरण गांव में विशेष कैम्प लगाकर किया जाय। कैम्प का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें। कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रमों में यथा संभव जनपद के मात्रा प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री भी सुविधानुसार शामिल हो सकें। धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्रामसभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

8. जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी (भू-लेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ-साथ राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी की भी तैनाती करेंगे, जों अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या की प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को 30 दिन में उपलब्ध करायेंगे। आपदा राहत निधि से शासन को समर्पित कर दिया जाय।


दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

10. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि का मदवार पूर्ण विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

11. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

13. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या-2234 (1) / 1-10-2008-12(15) / 2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / राजस्व अनुभाग-11
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव